



प्रेस नोट

दिनांक 18.11.2024

थाना जरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में थाना जरिया पुलिस के द्वारा कृष्ण मुरारी राजपूत उर्फ कृष्णा पुत्र शिवराम राजपूत को एक प्लास्टिक के झोले में 22 पाउच/ क्वार्टर देशी शराब (मस्तीह) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 294/2024 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत करते हुए नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई।

अभियुक्त का विवरण-

कृष्ण मुरारी राजपूत उर्फ कृष्णा पुत्र शिवराम राजपूत (उम्र करीब 33 वर्ष) निवासी गांधीनगर कस्बा गौहाण्ड थाना जरिया जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण-

एक प्लास्टिक के झोले में 22 पाउच/क्वार्टर देशी शराब मस्तीह

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 रमाकान्त शुक्ल
- 2.का0 मनोज कुमार
- 3.का0 रीझुल मुखरैया

